संख्या-30 /2019/311 /22-4-19-48(30)/14

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 31 मार्च, 2019

विषयः-कारागार विभाग में ई-प्रिजन कार्ययोजना के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर का क्रय किये जाने हेतु स्वीकृति धनराशि को जैम पोर्टल एकाउण्ट(जी0पीए0) में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8631/आधु-2/ई-प्रिजन/2019, दिनांक-26 मार्च,2019 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-25/2019/284/22-4-19-48(30)/14, दिनांक 29 मार्च,2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय कारागार विभाग में ई-प्रिजन योजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु कुल स्वीकृत रू0 181.00 लाख में से रू0 82,11,750/- (रूपया बयासी लाख ग्यारह हजार सात सौ पचास मात्र) को जैम पोर्टल एकाउण्ट(जी0पीए0) में जमा किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित विवरण/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

कम्प्यूटर हार्डवेयर का क्रय:- (धनराशि रूपये में)

क्र0	प्रस्तावित कार्य/मद	संख्या	दर प्रति यूनिट	कुल लागत
1	लैपटाप(आई-5, 7th जनरेशन)	03	50450	151350
2	डेस्कटॉप(आई-5, 7th जनरेशन)	110	49400	5434000
3	आल इन वन लेजर प्रिन्टर (प्रिन्ट, कॉपी, स्कैन)	112	19000	2128000
4	यूपीएस(1000वीए)	112	4450	498400
			योग-	8211750

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार द्वारा स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन की स्थिति से शासन को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार द्वारा जैमपोर्टल के क्रियान्वयन हेतु स्टेट जैम पूल एकाउण्ट खोले जाने से सम्बन्धित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम **उद्यम** अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 30.11.2017 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार द्वारा प्रश्नगत धनराशि को स्टेट जैम पूल एकाउण्ट के अन्यत्र किसी अन्य खाते में नहीं रखा जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का भुगतान सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों के अनुरूप समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार उत्तरदायी होंगे।

2- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 की अशासकीय संख्या- एफ0ए0-1-614/दस-2019, दिनांक 31 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-**30**/2019/311/22-4-2019, तद्दिनांकित -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in